an>

Title: Need to declare a loan-waiver scheme for debt-stricken farmers of Bundelkhand region of Uttar Pradesh and also provide welfare measures for them.

केंचर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) ः पिछले 10 वर्षों में बुन्देलखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन में 55 फीसदी की कमी आई \mathring{g}_{\parallel} लगातार सूखा इसका पूमुख कारण \mathring{g}_{\parallel} वर्तमान में बुन्देलखण्ड के सभी जिले सूखानूरत घोषित \mathring{g}_{\parallel} बुन्देलखण्ड के किसानों के सभी कृषि ऋण माफ किए जाएँ। बैंकों द्वारा किसानों के उत्पीड़न व वसूली को रोका जाए। बुंदेलखण्ड के किसानों को विस्कालिक आर्थिक सुदृद्धता पुदान कैसे हो, इस पर भी विचार किया जाए।

बुन्देलखण्ड में सूखे के चलते गाँव वालों के सामने अपने जरूरी खर्च पूरा करने के लिए नकदी की समस्या हैं। पढ़ाई और शादी जैसे कामों के लिए किसानों के पास केंडिर कार्ड का सहारा भी नहीं बचा हैं। ऐसे में उनके सामने निजी सूदखोरों के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हैं। पूदेश भर में पूर्वालत सूद के रेट 2 से 3 रूपये शैंकड़े के उत्तर बुन्देलखण्ड में सूदखोर किसानों को 10 रूपये शैंकड़े की ब्याज दर पर कर्ज दे रहे हैं। खेत के खेत गिरवी रख दिये गये हैं। जमींदार अब शहरों में चौकीदारी पर उत्तर आए हैं। गाँव के गाँव बुजुर्गों से भरे पड़े हैं। उनके जवान बेटे शहरों की तरफ पलायन कर गए हैं। एक किसान किन परिस्थितियों में अपनी खेती-किसानी छोड़ अनजान स्थानों की और पलायन करता है, इसका दर्द बस वह ही समझ सकता हैं।